



2026:AHC: 170692-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - 14922/2026

नन्हे लाल उर्फ श्री ओम

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : महेंद्र कुमार यादव, विनोद कुमार यादव

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 49

माननीय न्यायमूर्ति अजय भनोट

माननीय न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत

याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार पांडेय प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता को झूठा फंसाया गया है और एफ.आई.आर. रद्द किए जाने योग्य है।

विद्वान ए.जी.ए. प्रस्तुत करते हैं कि संक्षेप में एफ.आई.आर. में निर्धारित अभियोजन का मामला यह है कि पीड़िता एक नाबालिग है। याचिकाकर्ता नाबालिग के साथ भाग गया था। विधि की दृष्टि में नाबालिग की सहमति की कोई वैधता नहीं है। पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(जे)(II)6 के अंतर्गत अपराध प्रकृति में गंभीर है।

विद्वान ए.जी.ए. निर्देशों के आधार पर आगे प्रस्तुत करते हैं कि एफ.आई.आर. के साथ-साथ अभिलेख में उपलब्ध सामग्री प्रथम दृष्टया अपराध का किया जाना स्थापित करती है और इसकी गहन विवेचना को न्यायोचित ठहराती है। विवेचना चल रही है। इस स्तर पर याचिकाकर्तागण की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से विवेचना में बाधा आएगी, साक्ष्य की हानि या उसका लोप होगा और यह हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल 1992 सप्ली (1) एस.सी.सी. 335 में प्रतिवेदित और

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2021) 19 एस.सी.सी. 401 में प्रतिवेदित में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के विपरीत होगा।

भजन लाल (उपरोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

"102. अध्याय XIV के अंतर्गत संहिता के विभिन्न प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या और इस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत असाधारण शक्ति या संहिता की धारा 482 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग के संबंध में निर्णयों की एक श्रृंखला में प्रतिपादित विधि के सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में, जिन्हें हमने ऊपर उद्धृत और प्रस्तुत किया है, हमने दृष्टांत के रूप में मामलों की निम्नलिखित श्रेणियां दी हैं, जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किसी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है, यद्यपि कोई सटीक, स्पष्ट रूप से परिभाषित और पर्याप्त रूप से दिशा-निर्देशित और अनम्य दिशा-निर्देश या कठोर सूत्र निर्धारित करना और ऐसे असंख्य प्रकार के वादों की एक विस्तृत सूची देना संभव नहीं हो सकता है, जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया जाए और उनकी समग्रता में स्वीकार किया जाए, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनाते हैं या अभियुक्त के विरुद्ध कोई मामला नहीं बनाते हैं।

(2) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट और एफ.आई.आर. के साथ संलग्न अन्य सामग्री, यदि कोई हो, में लगाए गए आरोप एक संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते हैं, जो संहिता की धारा 155(2) के दायरे में मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना संहिता की धारा 156(1) के अंतर्गत पुलिस अधिकारियों द्वारा विवेचना को न्यायोचित ठहराते हैं।

(3) जहां एफ.आई.आर. या शिकायत में लगाए गए निर्विवाद आरोप और उसके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी अपराध के किए जाने का खुलासा नहीं करते हैं और अभियुक्त के विरुद्ध वाद नहीं बनते हैं।

(4) जहां, एफ.आई.आर. में आरोप संज्ञेय अपराध नहीं बनाते हैं बल्कि केवल गैर-संज्ञेय अपराध बनाते हैं, वहां संहिता की धारा 155(2) के अंतर्गत परिकल्पित रूप में मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी द्वारा किसी विवेचना की अनुमति नहीं है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(5) जहां एफ.आई.आर. या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभाव्य हैं, जिनके आधार पर कोई भी समझदार व्यक्ति कभी भी इस न्यायोचित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है।

(6) जहां संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके अंतर्गत आपराधिक कार्यवाही संस्थित की गई है) के किसी भी प्रावधान में कार्यवाही के संस्थित करने और जारी रखने के लिए एक स्पष्ट विधिक रोक शामिल है और/या जहां संहिता या संबंधित अधिनियम में व्यथित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावी निवारण प्रदान करने वाला एक विशिष्ट प्रावधान है।

(7) जहां एक आपराधिक कार्यवाही स्पष्ट रूप से दुर्भावना से प्रेरित है और/या जहां कार्यवाही अभियुक्त से बदला लेने के गुप्त उद्देश्य से और निजी तथा व्यक्तिगत रंजिश के कारण उसे परेशान करने के विचार से दुर्भावनापूर्ण रूप से संस्थित की गई है।

103. हम इस आशय की चेतावनी भी देते हैं कि आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग बहुत ही संयम और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए और वह भी दुर्लभतम वादों में; कि न्यायालय एफ.आई.आर. या शिकायत में लगाए गए आरोपों की विश्वसनीयता या वास्तविकता या अन्यथा के संबंध में जांच शुरू करने में न्यायोचित नहीं होगा और यह कि असाधारण या अंतर्निहित शक्तियां न्यायालय को अपनी सनक या मर्जी के अनुसार कार्य करने का मनमाना क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं करती हैं।"

नीहारिका (उपरोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय ने विधि को निम्नानुसार प्रतिपादित किया:

"33.16. उपरोक्त मानदंड लागू होंगे और/या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत और/या धारा 482 द.प्र.सं. के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए रद्द करने की याचिका में अंतरिम आदेश पारित करते समय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त पहलुओं पर विचार करने की आवश्यकता है। हालांकि, रद्द करने की याचिका के लंबित रहने के दौरान विवेचना पर रोक का अंतरिम आदेश सावधानी के साथ पारित किया जा सकता है। ऐसा अंतरिम आदेश नियमित रूप से, लापरवाही से और/या यांत्रिक रूप से पारित करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। सामान्यतः, जब विवेचना चल रही हो और तथ्य धुंधले हों तथा संपूर्ण साक्ष्य/सामग्री उच्च न्यायालय के समक्ष न हो, तो उच्च न्यायालय को गिरफ्तारी न करने या "कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाए" का

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अंतरिम आदेश पारित करने से स्वयं को रोकना चाहिए और अभियुक्त को सक्षम न्यायालय के समक्ष धारा 438 द.प्र.सं. के अंतर्गत अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने के लिए भेज देना चाहिए। उच्च न्यायालय धारा 482 द.प्र.सं. और/या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रद्द करने की याचिका को खारिज/निस्तारित करते समय, या तो विवेचना के दौरान या विवेचना पूरी होने तक और/या धारा 173 द.प्र.सं. के अंतर्गत अंतिम रिपोर्ट/आरोप-पत्र दाखिल होने तक, गिरफ्तारी न करने और/या "कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं" का आदेश पारित नहीं करेगा और ऐसा करना न्यायोचित नहीं है।"

भजन लाल (उपरोक्त) और **नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर** (उपरोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय इस वाद के तथ्यों पर पूरी तरह से लागू होते हैं और हमें याचिकाकर्तागण को कोई अंतरिम संरक्षण प्रदान करने से रोकते हैं।

एफ.आई.आर. को रद्द करने के लिए चाहे गए अनुतोष को भी उन्हीं कारणों से तदनुसार अस्वीकार किया जाता है।

रिट याचिका खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत) (न्यायमूर्ति अजय भनोट)

13 अगस्त, 2026

आशीष त्रिपाठी

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”